"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 नवम्बर 2010—कार्तिक 14, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2010

क्रमांक ई-7/7/2007/1/2.—श्री एन. के. खाखा, भा.प्र.से., कलेक्टर, उत्तर बस्तर, कांकेर को दिनांक 30-10-2010 से 04-11-2010 तक (06 दिवस) का एक्स इंडिया लीव्ह स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 05 नवम्बर, 2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खाखा, आगामी आदेश तक कलेक्टर, उत्तर बस्तर, कांकेर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री खाखा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खाखा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2010

क्रमांक ई 7-15/2007/1/2.—श्री डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर को दिनांक 30-10-2010 से 04-11-2010 तक (06 दिवस) का एक्स इंडिया लीव्ह स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 05 नवम्बर, 2010 को घोषित शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2010

क्रमांक ई 7-26/2004/1/2.—श्री आर. पी. मण्डल, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनु. जनजाति विकास विभाग को दिनांक 28-05-2010 से 03-06-2010 तक (07 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. मण्डल, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनु. जनजाति विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री आर. पी. मण्डल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मण्डल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2010

क्रमांक ई 7-26/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01-06-2010 द्वारा श्री आर. पी. मण्डल, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनु. जनजाति विकास विभाग को दिनांक 28-05-2010 से 11-06-2010 तक (15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2010

क्रमांक 1827/2020/2010/1-8/स्था.—श्री प्रशांत लाल, शोध अधिकारी, 13वां वित्त आयोग सेल, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 9-8-2010 से 20-8-2010 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत लाल को शोध अधिकारी, 13वां वित्त आयोग सेल, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत लाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2010

क्रमांक 1173/816/2010/1-8/स्था.—श्रीमती कर्मेला लकड़ा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 18-10-2010 से 23-10-2010 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती कर्मेला लकड़ा को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कर्मेला लकड़ा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2010

क्रमांक 1175/805/2010/1-8/स्था.—श्री के. सी. वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग को दिनांक 13-9-2010 से 17-9-2010 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. वर्मा को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सी. वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2010

क्रमांक 1176/885/2010/1-8/स्था.—श्री एम. डी. दीवान, उप-सचिव, जल संसाधन विभाग को दिनांक 20-10-2010 से 28-10-2010 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. डी. दीवान को उप सचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. डी. दीवान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2010

क्रमांक 1901 A/709/2010/1-8/स्था.—श्री टामन सिंह सोनवानी (राप्रसे), विशेष सहायक, मान. मंत्री कृषि, पशुपालन एवं श्रम विभाग को दिनांक 13-9-2010 से 17-9-2010 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये दिनांक 11, 12, 18 एवं 19-9-2010 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री टामन सिंह सोनवानी को मान. मंत्री कृषि, पशुपालन एवं श्रम विभाग के विशेष सहायक के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री टामन सिंह सोनवानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2010

क्रमांक/एफ 1/86/दो गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आर. सी. पटेल, भा.पु.से., महानिरीक्षक, नगर सेना, छ. ग. रायपुर को निजी कार्य से आस्ट्रेलिया (विदेश यात्रा) जाने के लिए दिनांक 22-12-2010 से दिनांक 10-01-2011 तक कुल 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करता है.

2. श्री आर. सी. पटेल, भा.पु.से. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. पटेल, भा.पु.से., महानिरीक्षक, नगर सेना, छ. ग. रायपुर के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. सी. पटेल, भा.पु.से., महानिरीक्षक, नगर सेना, छ. ग. रायपुर अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एल. लिखार, अवर सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2010

क्रमांक/3104/बी 14/21/2003/14-2.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (क्रमांक 10 सन् 1955) की धारा 3 के अधीन जारी किये गये बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के खण्ड 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई समस्त पूर्ण अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये अधिकारियों को, उक्त आदेश के अधीन अनुसूची के कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर शक्तियों का प्रगोग करने के लिए तथा अनुसूची के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र. (1)	अधिकारी (2)	अधिकारिता (3)	प्रयोजन (4)
1.	समस्त जिले के उप संचालक कृषि.	संबंधित जिला	कृषि फसलों के बीच विक्रय हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करना.
2.	समस्त जिले के उप संचालक/ सहायक संचालक उद्यान.	संबंधित जिला	उद्यानिकी फसलों के बीज विक्रय हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करना.

No./3104/B-14/21/2003/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause (11) of Seed (Control) Order, 1983 issued under section-3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) and in supersession of all previous notifications issued in this regard, the State government hereby appoint the officer specified in colur

in the schedule below as Licensing Officer to exercise the power within the jurisdiction as specified in column (3) and for the purpose as specified in column (4) of the said schedule under the said order, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Officer (2)	Jurisdiction (3)	Purposes (4)
1.	All Deputy Director of Agriculture of Districts.	Respective Districts.	Issuing of License for Sell of Agriculture Crop Seeds.
2.	All Deputy Director/ Assistant Director, Horticulture of Districts.	Respective Districts.	Issuing of License for Sell of Horticulture Crop Seeds.

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

क्रमांक/4034/एफ-04/01/2010/14-2.—राज्य शासन द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3409/एफ-04/01/2010/मं. निर्वा./14-2 दिनांक 07-09-2010 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्षों एवं सदस्यों का निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन कार्यक्रम वर्ष 2010-11 घोषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत मंडी क्षेत्रों का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन एवं आरक्षण, अध्यक्षों के लिए स्थानों का आरक्षण एवं मतदाता सूची बनाये जाने हेतु विभिन्न कार्यवाही के लिए तिथियां वर्णित है.

राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि प्रदेश बनने के बाद 02 नये जिले अस्तित्व में आए हैं, एवं कई नई तहसीलों का गठन हुआ है. वर्तमान स्थिति में कई मंडियों के क्षेत्र एक से अधिक जिला, तहसील में आ रहे हैं. मंडी समितियों के क्षेत्र सीमा परिवर्तन एवं युक्तियुक्तकरण संबंधित कार्यवाही किए जाने पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित होगी. अत: राज्य सरकार की राय है कि उपरोक्तानुसार परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण घोषित कृषि उपज मंडी समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम वर्ष 2010-11 अनुसार कार्यवाही सम्पन्न कराया जाना संभव नहीं है.

अत: राज्य सरकार, कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 'क' की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, एतद्द्वारा, कृषि उपज मंडी समितियों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के लिए घोषित निर्वाचन कार्यक्रम 2010-11 को 06 माह के लिए मुल्तवी करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 2-113/सात-2/2008.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 59 के अधीन, जहां छत्तीसगढ़ राज्य के किसी नगर या ग्राम में विनिर्दिष्ट भूमि से भिन्न किसी भूमि का व्यपवर्तन गैर कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाता है, वहां उस कृषि भूमि पर प्रीमियम के उद्ग्रहण के प्रयोजन के संबंध में, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 175-6477-सात-ना (नियम) दिनांक 06 जनवरी, 1960 द्वारा संशोधित एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 11-7-सात-शा-8-89 दिनांक 24 जनवरी, 2000 द्वारा यथासंशोधित अनुसूची के पश्चात् और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 258 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस की समाप्ति पर विचार किया जायेगा.

ऐसी कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (कक्ष क्रमांक 255) दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, छत्तीसगढ़ शासन द्वारां विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

निम्न 14 की विद्यमान अनुसूची के पश्चात् एकीकृत उपनगर के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाए :—

अनुसूची

स. क्र.	योजना/विशेष क्षेत्र का नाम	कृषि प्रयोजन से आवासीय प्रयोजन हेतु	प्रीमियम की दरें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रायपुर, नया रायपुर		रु. 100 प्रति वर्गमीटर
2.	बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई		रु. 80 प्रति वर्गमीटर
3.	अन्य योजना एवं विशेषक्षेत्र		रु. 60 प्रति वर्गमीटर

No. F-2-113/Seven-2/2008.—The further following draft amendment, Under Section 59 of Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) (hereinafter referred as the said Act) where agticultural land other than the land specified is diverted to non-agricultural purposes, in any Towns or Villages in the State of Chhattisgarh then in respect of purposes to recovery of premium on that agriculture land after schedule of amended by Revenue departmental's notification No. 175-6477-VII-N (Rules), dated the 6th January, 1960 and as amended by No. F 11-7-Seven-SHA-8-89 date 24th January, 2000, which the State Government proposes to make in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 258 of the said Act, is published as per required by sub-section (3) of Section 258 of said Act, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that said draft will be taken into consideration of expity of thirty days of publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before specified period in office hours by the office of the Secretary, Department of Revenue and Disaster, Management, Government of Chhattisgarh, Dau Kalyan Singh, Bhavan, Mantralaya, Raipur (Room No. 255) will be considered by Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

After existing Schedule of Rule 14 for purpose the integrated township, following Schedule shall be inserted, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of planning/Special Areas	For agriculture purpose to residential purposes	Imposition of Premium
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Raipur, New Raipur		Rs. 100 per sq. Meter
2.	Bilaspur, Durg, Bhilai		Rs. 80 per sq. Meter
3.	Other planning and particular ones.		Rs. 60 per sq. Meter

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल टुटेजा, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 5-111/18/2005.—चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया कि लोक हित में यह समीचीन है कि बिलासपुर जिले के अरपा क्षेत्र को एक विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाये;

अतएव छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 64 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा बिलासपुर जिले के अरपा क्षेत्र को एक विशेष क्षेत्र के रूप में अभिहित करता है जो "अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण बिलासपुर" के नाम से जाना जायेगा और उसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में सम्मिलित ग्रामों के अरपा नदी तट के दोनों ओर 200 मीटर भाग तक सीमित होगी :—

अनुसूची

अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमाएं

(अरपा नदी तट के दोनों ओर 200 मीटर तक)

उत्तर में : ग्राम घुटकू, लमेर, लक्षनपुर, लोफंदी एवं कछार के नदी तट भाग की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम कछार, सेन्दरी, कोनी, सरकंडा, चांटीडीह, लिंगयाडीह एवं मोपका के नदी तट भाग की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम मोपका, दोमुहानी, देवरीखुर्द एवं तोरवा के नदी तट भाग की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम तोरवा, जूना बिलासपुर, कुदुदण्ड, मंगला, लोखण्डी, तुरकाडीह, निरतू एवं घुटकू के नदी तट भाग की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

क्रमांक 03/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	घाघरा	2.76	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	घाघरा जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	अमलीटिकरा	0.072	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	बांसजोर जलाशय योजना के मुख्य नहर चैन क्रमांक 0 से 30 हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 7 अक्टूबर 2010

रा. प्र. क्र./03/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	ऊंचडीह	7.31	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग छ.रा.वि.उ.कं. मर्या., बिश्रामपुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप वि.परि. हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

क्रमांक/क्यू/भू-अर्जन/10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	नवागांव प.ह.नं. 12	10.518	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, चांपा जिला-जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु (600 M W विद्युत संयंत्र स्थापना हेतु)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./26/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेरियाकला, प. ह. नं. 117
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.520 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1317	0.085
	1318/1	0.081
	1318/2	0.089
	1318/4	0.146
	1324	0.142
	1325	0.506
	1381/1, 1382/1-3, 1383/1	0.193
	1382/2, 1383/2	0.064
	1382/6, 1383/5	0.064
	1382/5, 1383/4	0.129
	1365	0.021
योग	11	1.520

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दीनदयाल आवास योजना पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मंडल, संभाग-चार, रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 06 अ/82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-अमसेना, प. ह. नं. 48
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	546	0.10
योग	1	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजीव समोदा-निसदा व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 11 मई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-घोचल.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.216 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
27	0.034
35	0.094
20	0.212
18	0.070
45	0.116
324	0.012
44/6	0.274
158	0.004
70/6	0.236
70/5	0.158
80	0.112
127	0.140
95	0.124
164	0.060
96	0.080
98	0.008
97	0.110
209	0.042
219	0.008
124	0.040
125	0.128
126/2	0.032
126/1	0.194
128	0.158
163	0.076
160	0.120
156/2	0.016
265	0.068
172	0.096
85/2	0.096
356/2	0.236
87	0.040
248	0.032
414	0.196
174	0.024
175	0.070
250	0.004
178	0.048
220	0.096
223	0.108
226	0.004
334	0.232
360	0.024
254/2	0.032
254/1	0.044
249/1	0.028
245/2	0.048
350/2	0.160
328	0.156
333	0.232
335/1	0.052
352/1	0.152
352/2	0.152
354	0.012
423	0.116
योग 55	5.216

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चपटानाला व्यपवर्तन योजना की दाईं एवं बाईं मुख्य नहर का एवं माइनर नम्बर 1 के लिए निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़, मुख्यालय धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वज्रनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ. ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खम्हार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.251 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	648/1 ख	0.251
योग	1	0.251

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-"साजादरहा व्यपवर्तन योजना डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन."

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ. ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-परसा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.170 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
291	0.124
293	0.234
354	0.004
355	0.036
394/1	0.004
361	0.068
374/2	0.076
360	0.076
356	0.072
253	0.064
362, 464	0.036
377	0.040
363/2	0.030
364	0.028
365	0.032
373/1	0.004
376	0.040
274/1	0.132
402	0.120
403	0.024
13/2	0.032
378/1	0.060
17	0.078
16	0.004
18/2	0.104
394/2	0.084
18/3	0.096
22	0.096
259	0.056
27	0.176
39/1	0.020
39/2	0.020

	(1)	(2)
	40	0.060
	39/3	0.020
	39/4	0.020
योग	35	2.170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- "सलखेता जलाशय योजना की परसा माइनर हेतु भू-अर्जन."

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ. ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गिधकालो
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.854 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	280	0.048
	274	0.144
	279/2	0.020
	281/1	0.030
	275	0.012
	247/1	0.020
	247/2	0.020
	283	0.012
	284	0.004
	286	0.004
	276	0.004
	278	0.001
	282/1	0.049
	285	0.064
	302/1	0.072
	301	0.002
	302/2	0.002
	297	0.048
	300	0.036
	327/1	0.018
	299/1	0.024
	299/2	0.024
	296	0.036
	327/2	0.018
	272	0.082
	181/2	0.030
	281/3	0.030
योग	27	0.854

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- "सलखेता जलाशय योजना की परसा माइनर हेतु भू-अर्जन."

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ. ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बांझीआमा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.168 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
20	0.120
48/2	0.040
49	0.032
46/1 ग	0.056
25/1	0.056
48/1	0.120
91/1	0.008
22	0.056
23	0.052
93/1 क	0.036
61/1 ख	0.024
93/1 ख	0.004
62/2	0.012
61/1 क	0.116
92/1 क	0.056
91/3	0.036
92/1 ग	0.036
91/4	0.036
91/2	0.154
90	0.024
21/1	0.056
36	0.034
62/1	0.004
योग 23	1.168

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- "सलखेता जलाशय योजना की परसा माइनर हेतु भू-अर्जन."

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-पुसौर

(ग) नगर/ग्राम-छोटे भंडार, प. ह. नं. 39

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.833 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
238/2	0.008
241/2	0.067
171/1	0.020
181	0.057
211/2 क	0.012
216/3	0.040
222/2 ख	0.012
222/2 छ	0.012
178/1	0.038
179/1	0.037
214/1	0.017
219/1	0.024
145/1	0.041
246/1	0.041
243/2	0.012
245/10	0.021
246/10	0.021
214/5	0.010
219/5	0.028
219/6	0.028
243/3	0.024
214/6	0.008
162/3	0.073
170	0.102
222/3 ग	0.032
241/1	0.008
168/1	0.073
222/3 क	0.024
177/1	0.020
219/2	0.036
222/1	0.041
222/8	0.004
222/11	0.004
222/7	0.016
180/3	0.089
167/1	0.045

(1)	(2)
162/4	0.028
222/4	0.008
162/1	0.032
180/4	0.061
180/2	0.016
222/5	0.036
180/1	0.093
218/2	0.016
218/3	0.016
175/1	0.028
212/2	0.045
245/3	0.004
214/2	0.004
212/3	0.045
211/2 ख	0.032
214/7	0.035
212/1	0.057
239	0.153
222/3 ङ	0.004
177/2	0.040
243/1	0.117
178/5	0.037
222/2 क	0.018
222/2 ड़	0.018
222/2 च	0.019
217	0.028
219/3	0.032
222/2 घ	0.018
245/8	0.021
246/8	0.021
169/3	0.081
219/8	0.037
245/2	0.086
246/2	0.086
179/5	0.038
222/6	0.004
240	0.012
186/3	0.069
218/1	0.049
162/2	0.020
216/1	0.012
178/3	0.034
179/3	0.035
214/4	0.017
219/4	0.032
योग 81	2.833

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना कीं मुख्य नहर से कथली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 33/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-जेवरीडीह, प. ह. नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.254 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.137
3	0.085
4	0.028
16/3	0.004
योग 4	0.254

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की मुख्य नहर से कथली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 34/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-पुसौर
 (ग) नगर/ग्राम-तिलगी, प. ह. नं. 38
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.126 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
292/1	0.028
294	0.028
201	0.024
295	0.028
296	0.057
297	0.057
249	0.069
293	0.028
299/1 क	0.004
298/1	0.036
292/2	0.008
290	0.057
250	0.049
288/11	0.004
288/5	0.065
288/8	0.016
288/4	0.101
288/3	0.024
288/2	0.004
288/7	0.020
286	0.150
285	0.004
287	0.008
282	0.141
284	0.069
283	0.169
200/1	0.004
200/2	0.093
258/2	0.105
217	0.165
218	0.008
199	0.109
197/6	0.105
197/1	0.024
196	0.105
193	0.020
197/3	0.004
194	0.117
190/5	0.004
412/6	0.016
412/5	0.113
412/1	0.133
412/2	0.028
412/7	0.105
289/1	0.061
289/3	0.024
408/2	0.028
410/1	0.008
289/2	0.081
408/1	0.134
248/1	0.016
256/1	0.008
252/1	0.004
244/4	0.045
216/3	0.105
244/3	0.206
202/3	0.012
288/1	0.008
258/1	0.177
259/2	0.064
215	0.222
216/2	0.089
244/5	0.125
259/1	0.012
197/5	0.081

(1)	(2)
198/2	0.004
407/4	0.041
244/6	0.065
योग 68	4.126

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की मुख्य नहर से कथली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्र. क्र. 35/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लाखा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.963 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6	2.715
11	3.638
7	1.493
8	1.902
9/1	0.785
9/2	0.785
9/3	0.785
9/4	0.785
9/5	0.065
10/1	0.668
10/2	0.674
10/3	0.668
योग 12	14.963

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो परियोजना के डूब से प्रभावित आबादी के पुनर्वास हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

प्र. क्रमांक 1/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-करगीकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.78 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
784	0.78
योग	0.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुम्हारी व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

प्र. क्रमांक 8/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-पूटा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.10 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	152	0.13
	22/13	0.11
	118/3	0.06
	117/1	0.08
	129/4	0.15
	262/17 ग	0.14
	21	0.23
	262/3	0.42
	117/4	0.08
	22/11	0.10
	22/12	0.28
	262/2 ख	0.16
	118/2	0.05
	130/1	0.14
	114/1	0.09
	123/3	0.14
	262/2 ग	0.14
	262/16	0.20
	130/2	0.17
	22/6	0.14
	123/4	0.14
	262/2 घ	0.15
	117/1	0.07
	118/1	0.12
	119/1	0.30
	128/1	0.31
योग	26	4.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पूटा जलाशय की अगरा शाखा नहर क्र. 1 एवं 2 हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

प्र. क्रमांक 10/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-बस्ती
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.10 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
98/1	0.13
146/2	0.03
147/1	0.19
149	0.03
444	0.21
123	0.18
396/1	0.15
520, 521/1	0.15
396/2, 398/2	0.16
368/1	0.09
369	0.01
379	0.18
125/2	0.17
120	0.23
396/4	0.15

	(1)	(2)
	298/1	0.17
	99/1	0.08
	124	0.29
	389/1	0.18
	145/1	0.40
	392	0.07
	517/2	0.07
	523	0.46
	525/1	0.18
	372/1	0.49
	445	0.05
	397	0.04
	147/2	0.09
	443	0.09
	370	0.24
	128	0.24
	389/5	0.46
	391	0.07
	4376	0.24
	98/2	0.12
योग	34	6.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पूटा जलाशय की बस्ती शाखा नहर क्रमांक 1 एवं 2 हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

क्रमांक क/15124/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-बिर्रा, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-85.782 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
114/1	0.397
114/2	0.344
120	0.324
121	0.146
122	0.142
123/1	0.287
123/2	0.243
124	0.611
125	0.263
126	0.097
127/1	0.170
127/2	0.162
128	0.255
129	0.142
130	0.255
132	0.154
133	0.498
134	0.138
135	0.129
136/1	0.554
136/2	0.304
137	0.198
138	0.283
139	0.134
140	0.138
141	0.417
142/1	0.239
142/2	0.239
143	0.316
144	0.316
145	0.486
146/1	0.138
146/2	0.239
146/3	0.109
147	0.340
148/1	0.182
148/2	0.182

(1)	(2)	(1)	(2)
149	0.405	367	0.336
150	0.324	368/1	0.069
151/1	0.295	368/2	0.069
151/2	0.300	369	0.194
152	0.255	370/1	0.109
153	0.255	370/2	0.109
154	0.134	371/1	0.210
156	0.308	371/2	0.202
340/1	0.162	372/1	0.166
341	0.275	372/2	0.166
342/1	0.045	373	0.332
342/2	0.105	374	0.304
343	0.109	375/1	0.178
344	0.101	375/2	0.174
345/1	0.061	375/3	0.174
345/2	0.117	375/4	0.174
346/1	0.263	376	0.283
346/2	0.174	377/1, 377/2	0.210
347/1	0.166	377/3	0.081
347/2	0.170	377/4	0.081
347/3	0.170	378/1	0.182
347/4	0.336	378/2	0.352
348	0.101	379/1	0.093
349	0.101	379/2	0.093
350	0.239	380	0.101
351	0.458	381, 394/1	0.142
352	0.101	382	0.129
353	0.113	383	0.129
354	0.162	384	0.275
355	0.113	385	0.194
356/1	0.142	386	0.162
356/2	0.142	387	0.312
357	0.267	388	0.324
358	0.194	389	0.445
359	0.348	390	0.336
360	0.316	391	0.409
361/1	0.182	392	0.263
361/2	0.190	393	0.202
361/3	0.162	394/2	0.543
362	0.129	395/1	0.138
363/1	0.214	395/2	0.198
363/2	0.134	395/3	0.146
363/3	0.138	396/1	0.142
364	0.364	396/2	0.158
365	0.113	397	0.1[illegible]2
366	0.441	398/1	0.057

(1)	(2)	(1)	(2)
398/2	0.105	454/1	0.089
399/1	0.485	454/2	0.040
399/2	0.170	455/1	0.405
399/3	0.162	455/2	0.040
400/1	0.567	455/3	0.198
400/2	0.518	456/1	0.275
400/3	0.182	456/2	0.271
401	0.271	457/1	0.219
402	0.255	457/2	0.202
403	0.198	458/1	0.170
404	0.227	458/2	0.170
405	0.227	459/1	0.279
406	0.235	459/2	0.089
407/1	0.101	460/1	0.105
407/2	0.105	461	0.757
408	0.206	462	0.138
409	0.210	463	0.243
410/1	0.308	464	0.162
410/2	0.324	465	0.227
411	0.364	466/1	0.231
412	0.299	466/2	0.202
413	0.105	467	0.219
414/1	0.045	468	0.243
414/2	0.243	470/1, 470/3	0.101
414/3	0.097	470/2	0.121
414/4	0.239	470/4	0.154
414/5	0.049	470/5	0.178
414/6	0.049	483	0.283
415	0.219	484/1	0.101
416/1	0.316	484/2	0.227
416/2	0.320	484/3	0.101
417/1	0.304	485/1	0.150
417/2	0.223	485/2	0.182
418/1	0.142	486/1	0.150
418/2	0.142	486/2	0.182
419	0.243	487/1	0.166
420	0.360	487/2	0.162
421/1	0.271	487/3	0.057
421/2	0.243	487/4	0.113
421/3	0.142	487/5	0.158
421/4	0.283	487/6	0.105
421/5	0.243	487/7	0.109
422/1	0.243	488	0.154
422/2	0.304	489	0.190
423/1	0.344	490	0.251
429/1	0.198	494/1	0.162

(1)	(2)
494/2	0.202
494/3	0.441
495	0.210
496/1	0.093
496/2	0.182
497	0.162
498	0.223
499/1	0.243
499/2	0.194
500	0.271
501/1	0.263
501/2	0.089
502/1	0.089
502/2	0.081
502/3	0.081
503	0.243
504	0.328
505	0.109
506	0.081
507	0.101
508/1	0.101
508/2	0.101
509	0.162
510	0.348
511/1	0.283
511/2	0.454
512	0.227
513/1	0.097
513/2	0.097
514	0.445
515	0.628
516	0.591
517	0.308
518	0.243
519/1	0.121
519/2	0.121
520	0.632
521	0.279
522	0.146
523/1	0.138
523/2	0.138
524	0.186
525	0.142
526	0.295
527/1	0.348
527/2	0.117

(1)	(2)
528	0.166
529	0.045
530/1	0.721
530/2	0.113
530/3	0.117
531/1	0.320
531/2	0.162
531/3	0.263
532	0.146
533	0.154
534	0.166
535	0.150
536	0.283
537	0.101
538	0.372
539/1	0.040
539/2	0.093
539/3	0.089
539/4	0.162
539/5	0.040
539/6	0.271
540	0.223
541	0.081
542	0.081
543/1	0.247
543/2	0.243
543/3	0.247
544/1	0.259
544/2	0.134
544/3	0.239
545/1	0.235
545/2	0.283
546/1	0.190
546/2	0.186
547/1	0.251
547/2	0.125
548/1	0.109
548/2	0.251
548/3, 548/4, 548/5	0.247
549	0.567
550	0.304
551	0.352
552	0.012
553/1	0.178
553/2	0.089
554	0.146
555	0.243

(1)	(2)
556/1	0.364
556/2	0.364
557	0.134
558/1	0.077
558/2	0.134
558/3	0.134
558/4	0.194
559/1	0.773
559/2	0.801
560/1	0.081
560/2	0.081
561	0.202
562/1	0.619
562/2	0.182
563/1	0.073
563/2	0.129
564	0.251
565/1	0.105
565/2	0.109
565/3	0.109
566	0.227
567	0.304
568	0.510
569/1	0.105
569/1 क	0.097
569/1 ख	0.097
569/2	0.113
569/2 क	0.117
569/2 ख	0.117
570	0.154
571	0.607
572/1	0.049
572/2	0.445
572/3	0.283
572/4	0.113
572/5	0.162
573/1, 573/3	0.417
573/2	0.210
574	0.376
575/1	0.202
575/2	0.154
575/3	0.162
575/4	0.097
576	0.154
577	0.093
578	0.040
579/1	0.534
579/2	0.267
580	0.101
581	0.162
582	0.020
583	0.142
584	0.085
585	0.053
586	0.065
587	0.045
588	0.170
589/1	0.138
589/2	0.202
589/3	0.227
590	0.567
591	0.057
592	0.178
593	0.376
594/1	0.425
594/2	0.425
595	0.243
596	0.271
598/1	0.559
598/2	0.129
599/1	0.227
599/2	0.129
599/3	0.223
600	0.239
602/1	0.081
602/2	0.405
603	0.344
606	0.109
607/1	0.263
607/2	0.259
607/3	0.121
योग 395	85.782

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन, 1320 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेशचंद्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुज़ा, दिनांक 7 अक्टूबर 2010

रा. प्र. क्र./01/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहंसील-रामानुजनगर
- (ग) नगर/ग्राम-रामानुजनगर, प. ह. नं. 69
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.59 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
302	0.45
517/1	0.06
519/1	0.24
519/2	0.15
519/3	0.01
520/1	0.92
618	0.43
620	0.09
621	0.54
622/1	0.18
622/2	0.20
623/1	0.10
623/2	0.30
624	0.28
625/1	0.33
626	1.30
644	0.02
648/1	0.98
770	0.58
771/1	0.12
771/2	0.14
772/1	0.91
772/2	0.24
772/6	0.15
772/7	0.22
773	0.14
774	0.06
775	0.02
776	0.36
777	0.10
778	0.17
779	0.06
781	0.42
782	0.02
787	0.29
788	0.31
789/1	0.25
789/2	0.22
790/1	0.10
790/2	0.14
793	0.34
794	0.34
795	0.48
796	0.11
797	0.02
798/1	0.10
798/2	0.07
821/1	0.01
821/2	0.01
1058	0.15
1071	0.02
1073	0.63
1077	0.34
1078	0.67
1079/2	0.07
1080	0.30
1081	0.28
1082	0.05
योग 58	15.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि., प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 7 अक्टूबर 2010

रा. प्र. क्र./02/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-सरगुजा
   (ख) तहसील-रामानुजनगर
   (ग) नगर/ग्राम-पम्पापुर, प. ह. नं. 65
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.566 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	11/1	0.003
	11/2	0.048
	12/1	0.199
	12/2	0.162
	13	0.179
	17/16	0.041
	214/12	0.164
	214/13	0.053
	214/15	0.198
	214/16	0.105
	214/18	0.134
	214/19	0.049
	214/24	0.024
	214/6	0.004
	214/7	0.336
	214/9	0.045
	216/4	0.199
	216/5	0.078
	216/6	0.084
	217/15	0.120
	217/21	0.101
	217/26	0.061
	217/3	0.179
योग	23	2.566

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि., प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 7 अक्टूबर 2010

रा. प्र. क्र./03/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-सरगुजा
   (ख) तहसील-सूरजपुर
   (ग) नगर/ग्राम-ऊंचडीह, प. ह. नं. 53
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.31 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1474/1	0.08
1474/2	0.02
1474/3	0.01
1493/1	0.08
1493/2	0.08
1494	0.17
1495	0.23
1496	0.12
1497/1	0.04
1497/2	0.20

(1)	(2)
1497/3	0.03
1497/6	0.10
1497/7	0.05
1685/1	0.11
1685/2	0.03
1687/1	0.12
1687/2	0.11
1694/1	0.20
1695	0.01
1696	0.40
1697/2	0.05
1703/1	0.14
1703/2	0.14
1703/3	0.10
1703/4	0.08
1703/6	0.03
1703/7	0.16
1704 कि	0.20
1706/1	0.03
1706/2	0.02
1707/1	0.04
1707/2	0.09
1707/3	0.10
1730	0.10
1731/1	0.23
1731/2	0.19
1732	0.07
1734	0.10
1735/1	0.01
1738	0.27
1739	0.02
1740	0.25
1741	0.02
1743	0.45
1746	0.02
1747	0.17
1772	0.02
1774/1	0.17
1774/2	0.22
1774/3	0.14
1774/4	0.10
1775	0.08
1776	0.10
1782/1	0.04
1782/2	0.04
1782/3	0.04
1783	0.14
1784	0.12
1785/1	0.03
1785/2 क	0.06
1785/4	0.06
1786	0.07
1787/1	0.06
1787/2	0.07
1787/3	0.07
1787/4	0.06
1788/1	0.04
1788/2	0.08
1788/3	0.07
1788/4	0.06
1788/5	0.02
1789/1	0.05
1789/5	0.03
योग 73	7.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि., प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

क्रमांक क/खलि/तीन-1/09/3768.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के नियम (12) के तहत, जिला रायपुर स्थितं निम्नानुसार सूची में दर्शाये गये क्षेत्र, चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 30 (दिन) पश्चात्, आवेदन हेतु उपलब्ध होगा. प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार जांच उपरान्त आवेदित क्षेत्र में उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	तुरमा	17	भाटापारा	63/1, 63/6 (निजी भूमि)	2.52 एकड़	श्री राजेश आनंद जसवानी को चूनापत्थर उत्खनि-पट्टा दिनांक 27-10-1996 से 26-10-2001 तक स्वीकृत अवधि समाप्त होने के कारण क्षेत्र रिक्त है.
2.	तुरमा	17	भाटापारा	62/14 (निजी भूमि)	0.50 एकड़	श्री अशोक बाजपेयी को स्वीकृत चूनापत्थर उत्खनिपट्टा दिनांक 10-9-2001 से 9-9-2006 तक स्वीकृत अवधि समाप्त होने के कारण क्षेत्र रिक्त है.

डोमन सिंह,
अपर कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), सरगुजा, अम्बिकापुर

अम्बिकापुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2010

क्रमांक/1856/खनिज/2010.—श्रीमती काविन्त्री देवी को ग्राम अमडी के ख. नं. 254 रकबा 0.474 हे. क्षेत्र पर अवधि 26-10-2002 से 25-10-2007 तक के लिए चूना पत्थर (क्रेशर) हेतु उत्खनि पट्टा स्वीकृत थी. किन्तु आवेदिका द्वारा स्वीकृत उत्खनि पट्टा के कालातीत होने के एक वर्ष पूर्व नवकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. स्वीकृत क्षेत्र में चूना पत्थर उपलब्ध है जो अनुसूची एक के अनुक्रमांक 4 के अन्तर्गत आता है.

छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम 1996 के नियम 12 में यह लेख है कि अनुसूची एक के अनुक्रमांक 1 से 4 खनिजों के किसी ऐसे क्षेत्र के लिए उत्खनन पट्टे के अधीन पूर्व निर्धारित हो या धारण किया जा रहा हो तो तब तक कोई आवेदन नहीं किया जायेगा जब तक कि वह

तारीख जिससे ऐसा क्षेत्र पट्टा प्रदान करने के लिए उपलब्ध होगा-अग्रिम में कम से कम 30 दिन पूर्व शासकीय राजपत्र में अधिसूचित न कर दिया गया हो. अस्तु राजपत्र में प्रकाशन हेतु क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	ग्राम व तहसील	खनिज का नाम	खसरा नं.	रक्बा हे. में	भूमि का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ग्राम अमडी तहसील लुण्ड्रा	चूना पत्थर	254	0.474	निजी	आवेदिका द्वारा नवकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण क्षेत्र उपलब्ध हो गया है.

अतः आदेश राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस पश्चात् यह क्षेत्र उत्खनि पट्टा हेतु उपलब्ध हो सकेगा.

कमल प्रीत सिंह,
कलेक्टर.

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर दिनांक 20 अक्टूबर 2010

आकस्मिक रिक्ति की सूचना

[छ. ग. न. पा. नि. अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (2) (एक) के अंतर्गत]

क्रमांक/शा./-1/विविध/1470/10/6207.—कु. अनिता कैवर्त, निर्वाचित पार्षद, वार्ड क्र. 04, नगर पालिक निगम कोरबा ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत दिनांक 13-08-10 को लिखित रूप से सूचना दी है कि उनकी शिक्षाकर्मी वर्ग 02 में नियुक्ति हो गई है, इस कारण से पार्षद के पद से त्यागपत्र देते हुए उसे स्वीकार करने का निवेदन किया है.

उक्तानुसार प्राप्त त्यागपत्र की वास्तविकता के बारे में समाधान कर लिया गया है तथा उपरोक्त कारण की पुष्टि होने के उपरांत कु. अनिता कैवर्त, निर्वाचित पार्षद, वार्ड क्र. 04 नगर पालिक निगम कोरबा का पार्षद पद से दिनांक 13-08-10 को दिया गया त्यागपत्र एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है.

यह भी अधिसूचित किया जाता है कि कु. अनिता कैवर्त के त्यागपत्र के कारण नगर पालिक निगम कोरबा के वार्ड क्र. 04 के पार्षद का पद रिक्त हो गया है.

संजय शुक्ला,
आयुक्त.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 18th October 2010

No. 24 (Mis)/I-7-3/2011 (Pt.-I).—The High Court of Chhattisgarh is pleased to declare that the following days are the Vacations, Holidays of the High Court of Chhattisgarh for the Year 2011 :—

Summer Vacation :— Monday 16th May to Friday 10th June, 2011

Winter Holidays :— Monday 19th December to Saturday 31st December, 2011

S. No. (1)	Name of Holiday (2)	No. of Holidays (3)	Dates as per Gregorian Calendar (4)	Days of the Week (5)
1.	New Year Day	1	01-01-2011	Saturday
2.	Republic Day	1	26-01-2011	Wednesday
3.	Milad-Un-Nabi	1	16-02-2011	Wednesday
4.	Mahashivratri	1	02-03-2011	Wednesday
5.	Holi Holiday	1	21-03-2011	Monday
6.	Ram Navami	1	12-04-2011	Tuesday
7.	Good Friday	1	22-04-2011	Friday
8.	Independence day	1	15-08-2011	Monday
9.	Janmashtami	1	22-08-2011	Monday
10.	Id-Ul-Fitr	1	31-08-2011	Wednesday
11.	Dashera Holidays	5	03-10-2011 to 07-10-2011	Monday to Friday
12.	Deepawali Holidays	5	24-10-2011 to 28-10-2011	Monday to Friday
13.	Id-Ul-Zuha (Bakrid)	1	07-11-2011	Monday
14.	Guru Nanak Jayanti	1	10-11-2011	Thursday
15.	Muharram	1	06-12-2011	Tuesday

Notes :—

1. All the Sundays are declared holidays for the High Court and Registry including the Sundays falling during Summer Vacation.

2. Second & Third Saturdays of the month shall be closed Saturdays for the High Court and Registry.

3. The Saturday falling on 5th March 2011 and 27th August 2011 shall be working days for the High Court and all remaining Saturdays, which are not declared holidays and which are not included in summer vacation, are declared non-working Saturdays for the High Court but Registry shall remain open on these Saturdays.

4. Gandhi Jayanti, Guru Ghasidas Jayanti and Christmas fall on Sunday and Mahavir Jayanti, Raksha Bandhan, fall on closed Saturday, therefore no Holiday is declared separately.

5. The High Court shall remain closed from 16-05-2011 to 10-06-2011 on account of Summer Vacation but the Registry shall remain open during Summer Vacation.

6. The High Court shall remain closed from 19-12-2011 to 31-12-2011 on account of Winter Holidays but the Registry shall remain open during Winter Holidays.

7. Holidays declared on account of Milad-Un-Nabi, Id-Ul-Fitr, Id-Ul-Zuha and Moharram are subject to change depending upon the visibility of the Moon. If the State Government declares any change in these dates through TV/AIR/Newspaper, the same will be followed.

8. The officers and employees of the High Court Establishment shall be entitled to avail of three optional holidays in the year, out of the list of optional holidays as may be declared by the State Government for the year 2011.

By the Order of the High Court,
ARVIND SHRIVASTAVA, Registrar General.